(63)

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी – राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेटड़ा

बनाम

अप्रार्थी–रूपाराम s/. लेड़ाराम जाट निवासी कालेटड़ा अन्तर्गत धारा 91 भू.राज.अ. अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 63 / 2018 निर्णय दिनांक 16.10.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेटड़ा ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद कालेटड़ा के खसरा नम्बर 99 में किस्म गै.मु. रास्ता मेंसे रकबा 0.03 हेक्ट. भूमि में ज्वार, बाजरा लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी रूपाराम से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री / ने दिनांक / को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कालेटड़ा खसरा नम्बर 99 में किस्म गै.मु.रास्ता मेंसे रकबा 0.03 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/. रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.03 हेक्ट.भूमि के 0.18 रूपये लगान का 50 गुणा 9 /– अक्षरे नौ रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर